WWW.SARKARIRESULTS.INFO

UPSSSC Assembly/Forest Guard Syllabus

विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक के पदों पर चयन हेतु
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

(1) प्रथम चरण– लिखित परीक्षा 180 अंक

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसके विषय एवं अंक निम्नवत् हैं–

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग–1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता	80	80	02 घण्टे
भाग–2 सामान्य जानकारी	50	50	
भाग–3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	180	180	
(2) द्वितीय चरण– साक्षात्कार	–	20	
कुल योग	–	200	

पाठ्यक्रम

भाग–1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता–

उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा समझ एवं लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग–2 सामान्य जानकारी–

उक्त भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण के संबंध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के संबंध में उसकी योग्यता आंकने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे। उक्त भाग में सम–सामयिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों से संबंधित, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, वन–पर्यावरण–जलवायु से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे, जिनकी किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

भाग–3 सामान्य बुद्धि परीक्षण–

इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे, जो अनुदेशों को समझने, संबंधों/समानताओं/संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित हों।

नोट –परीक्षा तिथि व परीक्षा केन्द्रों के संबंध मे अभ्यर्थियों को यथासमय वैबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

वरीयता-अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभाग व पद की वरीयता देनी होगी।आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता,शैक्षिक अर्हता,श्रेष्ठता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता के विकल्प के अनुसार संस्तुति करने का प्रयास करेगा किन्तु इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।